श्रमिक कल्याण नीति : डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं बाबू जगजीवन राम के कार्यों का मूल्यांकन

– डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय

डॉ. भीमराव अम्बेडकर तथा बाबू जगजीवन राम दोनों भारत में एक आदर्श समाज की स्थापना के प्रबल समर्थक थें। समाज जो समतामूलक, शोषणविहीन, वर्गविहीन, जातिविहीन हो । यह समाज स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की आधारशिला पर आधारित हो तथा जिसमे सबको राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त हो ।

डॉ. अम्बेडकर तथा बाबू जगजीवन राम दोनों के व्यकितत्व में काफी समानताएं है। इन दोनों महापुरुषों का जन्म हिन्दू समाज के सबसे शोषित, पीड़ित तथा दलित वर्ग में हुआ था । इन्होनें समान रूप से हिन्दू सामाजिक कुप्रथा का उत्पीड़न अपने विद्यार्थी तथा सामाजिक जीवन में भोगा था। इन्होनें अपने भाषण, लेखनी तथा कार्यों द्वारा दलित, पीड़ित तथा श्रमिक वर्गों के शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की तथा सामाजिक एवम आर्थिक न्याय की स्थापना की पुरजोर वकालत की। दोनों ने इंडियन लेबर कांफ्रेंस के चार-चार अधिवेशनों की अध्यक्षता की । इंडियन लेबर कांफ्रेंस की पहली बैठक नई दिल्ली में 22-23 जनवरी 1940 को श्री रामास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में सम्पन हुई। श्रम सदस्य के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने नई दिल्ली में संपन्न चौथे से सातवें अधिवेशनों (07 अगस्त, 1942, 6-7 सितम्बर, 1943, 27-28 अक्टूबर, 1944 तथा 27-28 नवम्बर, 1945) की अध्यक्षता कर श्रमिक समस्याओं के समाधान का प्रयास किया । डॉ. अम्बेडकर के योग्य उत्तराधिकारी के रूप में बाबू जगजीवन राम ने नई दिल्ली में ही संपन्न अगले चार श्रमिक अधिवेशनों - 8वीं से 11वीं (21-22 अप्रैल, 1947, 19-21 अप्रैल, 1948, 20-21 मार्च, 1950 तथा 11-12 अगस्त, 1951) की अध्यक्षता कर महत्वपूर्ण श्रमिक समस्याओं का समाधान किया । बाबू जगजीवन राम 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री तथा प्रथम श्रम मंत्री बने। संघीय श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने 1946 से 1952 तक तथा श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री के रूप में 1966-67 में काम किया । श्रम सदस्य तथा श्रम मंत्री के रूम में उन्होंने श्रमिक हित में अनेक कार्य किये।

II

भारत रत्न बाबासाहेब अम्बेडकर (14 अप्रैल, 1891-6 दिसम्बर, 1956) का जन्म महार जाति में मध्यप्रदेश के महू में हुआ था। बचपन से ही उन्हें जातीय उत्पीडन का दंश झेलना पड़ा था। प्रसिद्ध कानूनविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ तथा समाज सुधारक डॉ. अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के पहले कानून एवम न्याय मंत्री थे। जैसा की विदित है, श्रम सदस्य के रूप में डॉ अम्बेडकर ने 1942-46 तक कार्य किया तथा इस अवधि में उन्होंने मजदूर हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जैसे कारखानों में संशोधन अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम तथा औद्योगिक रोजगार संबंधी आदेश। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कोयला एवं खनन कल्याण कोष, पेंशन एवं सवैतनिक अवकाश, श्रम निरीक्षण समिति आदि कल्याणकारी योजनायों द्वारा श्रमिकों हितों की सुरक्षा व्यवस्था की ।

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि राष्ट्रवाद के प्रति भारतीय श्रमिक वर्ग के रुझान का एक अहम् कारण प्रतिनिधिक संसदीय प्रणाली, उत्तरदायी कार्यपालिका तथा संवैधानिक सम्मेलन हैं, जो राष्ट्रीय भावना से जुड़कर समुदाय हित में बेहतर कार्य करते हैं। श्रमिक वर्ग के लिये राष्ट्रवाद केवल अपने उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है, यह स्वमेवः साध्य नहीं है जिसके लिए श्रमिक वर्ग अपना सर्वस्व बलिदान को सहमत हो।[1] डॉ. अम्बेडकर के अनुसार राष्ट्रवाद के संदर्भ में श्रमिको का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, यदि राष्ट्रवाद का अर्थ अतीत की इबादत है तथा उन सभी वस्तुओ को नकारना है जिनकी उत्पत्ति तथा वर्ण स्थानीय नहीं है, तब श्रमिक अपने धर्म के रूप में राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करेंगे। श्रमिको के राष्ट्रवाद का अर्थ साम्राज्यवाद तथा पूँजीवाद के शोषण से मुक्ति है।[2]

डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। श्रम की स्वतंत्रता के संबंध में उनका अभिमत था कि न तो यह नकारात्मक एवं संयमविहीन है और न केवल यह मत देने के अधिकार तक सीमित है, बल्कि इसका साकारात्मक पक्ष है तथा यह अवधारणा लोक-शासन का है जिसका अर्थ केवल संसंदीय प्रजातंत्र तक सीमित नहीं है। श्रमिक इस तरह की सरकार की स्थापना चाहता है जो न केवल नाम के लिए जनता का शासन हो बल्कि यथार्थ में जनता द्वारा शासित और उनके हितार्थ हो।[3]

समानता को परिभाषित करते हुए डॉ. अम्बेडकर कहते हैं की श्रमिक समानता चाहता है। समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी प्रकार की सुविधाओं का उन्मूलन-सिविल सेवा में, सेना में, कराधान में, व्यापार और उद्योग में, वास्तव में श्रमिक वर्ग के लिए समानता का आशय उन सभी प्रक्रियायों का उन्मूलन है जो वास्तव में असमानता उत्पन्न करती हैं।[4]

बंधुत्व को परिभाषित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है, बंधुत्व की अवधारणा का अर्थ है मानव बंधुत्व जिसमे सभी वर्गों तथा राष्ट्रों का एकीकरण संभव हो ताकि भूमण्डल पर शान्ति एवं सद्भावना स्थापित हो सके।

डॉ. अम्बेडकर राजनैतिक प्रजातंत्र के साथ आर्थिक प्रजातंत्र के प्रबल समर्थक थे। प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा प्रजातंत्र शासन की वह विधि है जिसमें बिना रक्तपात के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सके।[5]

अखिल भारतीय श्रमिक अध्ययन कैंप के समापन सत्र में दिनांक 17 सितम्बर, 1943 को दिल्ली में अपने अभिभाषण में डॉ अम्बेडकर ने श्रमिक और संसदीय प्रजातंत्र के संबंधों पर अपने महत्वपूर्ण चिंतन प्रस्तुत किये। संसदीय प्रजातंत्र के खिलाफ असंतोष के कारणों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय प्रजातंत्र में आर्थिक असमानता को मिटाने के प्रयास नहीं हुये। राजनीतिक प्रजातंत्र की सफलता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना अनिवार्य शर्त है। श्रमिक, गरीब तथा दलित वर्गों के हितों की उपेक्षा संसदीय लोकतंत्र की असफलता का अहम कारण है।[6] डॉ. अम्बेडकर प्रश्न करते है, अगर संसदीय लोकतंत्र गरीब, श्रमिक, शोषित तथा दलित वर्गों को लाभ पहुंचाने में विफल रही है तो क्या ये सभी वर्ग भी अपनी दुर्दशा के लिये स्वयं उत्तरदायी हैं? प्रतिउत्तर में अम्बेडकर ने इन वर्गों द्वारा मानव जीवन में आर्थिक कारक के प्रभावों के प्रति उदासीनता को प्रमुख बताया। श्रमिक वर्ग अपने को मानव शासन से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्यों से दूर रखा। उनका सुझाव था की प्रत्येक श्रमिक को रूसो के सामाजिक संविदा, मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पोप लियो तेरहवें का एनसायक्लीकॉ, तथा जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता से परिचित होना चाहिए। उनका मानना था कि इन वर्गों ने उपरोक्त साहित्यों के अध्ययन की ओर ध्यान नहीं दिया, जो उनकी वर्तमान स्थिति का कारण है।[7]

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार श्रमिकों का दूसरा बड़ा अपराध यह रहा कि उन्होंने सत्ता प्राप्ति तथा अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का भी कोई उपाय नहीं किया। श्रमिकों की आवाज को बुलंद करने का एक मात्र साधन उनका संगठन है, लेकिन मजदूर-संगठन श्रम की समस्त बुराइयों को समाप्त कर पाएगा, यह मानना गलत होगा। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि श्रम संगठन तब ज्यादा प्रभावी ढंग से श्रमिक समस्याओं का समाधान कर सकता है जब उसके पीछे मजदूर सरकार हो। उनका सुझाव था कि सरकार पर नियंत्रण मजदूरों का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिये।[8]

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार श्रमिक वर्ग की तीसरी गलती है कि वे सहज भाव से राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित हो जाते है। यद्यपि उनके पास देने को काफी अल्प है तथापि वे अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर देते है तथा इसकी चिंता भी नहीं करते है कि जिस राष्ट्र के लिए वे अपना सब कुछ बलिदान कर रहे है, वह स्थापित होने के बाद उन्हें सामाजिक और आर्थिक समानता प्रदान करेगा भी या नहीं।[9] संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में श्रमिकों के हितों की रक्षा के सन्दर्भ में डॉ. अम्बेडकर के सुझाव थे, मात्र मजदूर संगठन स्थापित करने के बजाए श्रमिको को सत्ता प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए राजनीतिक पार्टी के रूप में लेबर पार्टी की स्थापना होनी चाहिए।

20 जुलाई, 1942 को डॉ. भीम राव अम्बेडकर वाइसराय की परिषद् में श्रम विभाग के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज ने 9 जुलाई, 1942 के बधाई सन्देश द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्य-परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्ति की सूचना दी।[10]

भारत सरकार के श्रम सदस्य के रूप 7 अगस्त, 1942 को चतुर्थ श्रम कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। यहाँ ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व भारत सरकार के श्रम विभाग के तत्त्वाधान में नई दिल्ली में तीन श्रम सम्मेलन - प्रथम (22-23 जनवरी, 1940), दूसरा (27-28 फरवरी, 1941) तथा तृतीय श्रम सम्मेलन (30-31 जनवरी, 1942) में हो चुके थें। डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में चतुर्थ सम्मेलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता पूर्व के सम्मेलनों की तुलना में स्थायित्व प्रदान करना था और इसके लिए स्टैन्डिंग समिति की स्थापना के द्वारा स्थायित्व और नियमितता स्थापित करने का प्रयास था।[11]

इस सम्मेलन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता सम्मेलन के सदस्यो की संरचना थी। पूर्व के सम्मेलनों में केवल सरकारी प्रतिनिधि-केन्द्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार तथा कुछ देशी राज्यों के प्रतिनिधि होते थें। सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक-नियोक्ता तथा कर्मचारी वर्ग का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होता था।[12] श्रम सम्मेलन के इतिहास में संयुक्त अधिवेशन द्वारा सरकारी प्रतिनिधि के साथ नियोक्ता तथा कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने की डॉ. अम्बेडकर की पहल सराहनीय थी तथा श्रमिक वर्ग द्वारा स्वागतयोग्य ।

भारतीय श्रमिकों के लिए व्हिट्ले आयोग ने एक स्थायी संस्था, औद्योगिक परिषद्, का सुझाव दिया था और जिसे श्रमिक वर्ग तब से लागू करने की मांग कर रहा था लेकिन कतिपय कारणों से उसे लागू नहीं किया जा सका था।[13]

इस सम्मेलन के लक्ष्य और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए डॉ अम्बेडकर ने कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा श्रम कानून को समवर्ती सूची में रखे जाने तथा प्रांतीय सरकारों को श्रम कानूनों पर निर्णय की स्वतंत्रता के कारण श्रम कानून में एकरूपता स्थापित करना सबसे बड़ी समस्या है।[14]

डॉ. अम्बेडकर ने कहा की श्रम कानून के तीन प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य है[15]:-

1. श्रम कानून में एकरूपता को बढ़ावा देना ।
2. औद्योगिक विवादों के निपटारे की प्रक्रिया का निर्माण करना, तथा
3. नियोक्ताओं और कर्मचारियों के मध्य अखिल भारतीय महत्त्व के सभी विषयों पर चर्चा करना।

डॉ. अम्बेडकर का विचार है कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिये औद्योगिक प्रगति आवश्यक हैं। उनका मानना था की औद्योगिक उत्पादन तथा वस्तुओं की आपूर्ति के लिये शान्ति आवश्यक कारक है तथा औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति स्थापित करना एक बड़ी समस्या है। इसके लिये औद्योगिक विवादों को शीघ्र निपटारे की प्रक्रिया तैयार हो।

प्रथम पूर्ण श्रम सम्मेलन, नई दिल्ली, सितंबर 1943 में त्रिपक्षीय सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि लंबे अर्से से यह विचारधारा बलबती हो रही थी कि औद्योगिक समस्यायों के समाधान तथा श्रमिक कल्याण के विभिन्न मुद्दों पर मंथन के लिए तींनों पक्ष - सरकार, नियोक्ता तथा कर्मचारी के मध्य

एक उत्तरदायित्वपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो, एक-दूसरे की भावना के प्रति आदर हो तथा सभी पक्ष एक-दूसरे को कुछ देने और लेने की आदर्श प्रवृति से कार्य करे। अतः औद्योगिक समस्यायों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए तीनो पक्षों को वार्तालाप के लिए एक मंच पर लाना अनिवार्य है।[16] उनका मानना था कि सामाजिक कल्याण के अधिकांश मुद्दें औद्योगिक विवादों को जन्म देते है तथा जिनके शीघ्र और शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे के लिये कोई मशीनरी नहीं है जो इनके निराकरण के लिये सरकार को उचित सलाह दे।[17]

इसके लिए डॉ अम्बेडकर ने निम्नांकित सुझाव दिये :-

1. श्रम सम्मेलन की वर्ष में कम से काम एक बैठक की अनिवार्यता।
2. स्थायी सलाहकार समिति का गठन जो लिये गये निर्णयों पर सरकार को उचित सलाह दे सके।
3. इन निकायों के गठन की प्रक्रिया तथा संविधान को त्रिपक्षीय सम्मलेन के उद्देश्यों के अनुरूप बनाना।

इसके लिए डॉ. अम्बेडकर ने दो निकायों के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

1. पूर्ण सम्मेलन तथा 2. एक स्थायी सलाहकार समिति ।

पूर्ण सम्मेलन में केन्द्र तथा प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि होगें। सामान्यतौर पर प्रत्येक प्रान्त या बड़े राज्यों को प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा तथा जिन राज्यों का व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व नहीं होगा वहाँ चौम्बर ऑफ प्रिंसेस का मनोनीत उम्मीदवार होगा। नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रमुख संघों को भी प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान था। पूर्ण संम्मेलन के सन्दर्भ में डॉ. अम्बेडकर का सुझाव था कि नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सरकार के प्रतिनिधित्व के बराबर होना चाहिये।[18]

स्थायी सलाहकार समिति के गठन के सन्दर्भ में उनका सुझाव था की इसमें केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि, प्रान्तों के प्रतिनिधि, राज्यों के प्रतिनिधि तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि होगें और केंद्र सरकार का श्रम सदस्य इसका अध्यक्ष होगा। स्थायी सलाहकार समिति के गठन में डॉ. अम्बेडकर ने लीग ऑफ नेशन्स के तत्त्वावधान में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के सिद्धान्तों को अपनाया। अम्बेडकर के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिनिधित्व में समानता होनी चाहिये, इसके

लिए उन्होंने 10 सीटें सरकार को तथा 10 सीटें उद्योग को आवंटन का निर्णय लिया गया। दूसरा सिद्धान्त नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की समानता का था। इस सिद्धान्त का पालन करते हुए उन्होंने उद्योगों को आवंटित 10 सीटों में से नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों को 5-5 सीटें देने का प्रस्ताव दिया।[19]

श्रम सदस्य के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने दूसरे श्रम सम्मेलन में युद्ध दुर्घटना (क्षतिपूर्ति बीमा) विधेयक 1943 प्रस्तुत किया[20] जिसके तीन प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार थें :-

1. उन कामगारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना जो युद्ध उद्योग से पीड़ित हो सकते है।
2. नियोक्ताओं को क्षतिपूर्ति के लिए जबाबदेह बनाना, तथा
3. नियोक्ताओं द्वारा देय देनदारियों के लिये उनको बाध्य करना।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में बॉम्बे में 7-8 मई, 1943 को हुई बैठक में सामान्य राय बनी कि कुशल और अर्द्ध-कुशल कर्मियों के लिये रोजगार कार्यालयों की स्थापना की जाये। रोजगार कार्यालयों से जुडी सलाहकार समितियों में प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के सुझाव को भी सहमति प्रदान की गयी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय औद्योगिक उपक्रमो में श्रम अधिकारी की नियुक्ति पर आम सहमति थी । इसके अलावा श्रमिक कल्याण के मुद्दे जैसे सामाजिक सुरक्षा, वेतन और कल्याण तथा भारत में वेतन बोर्ड के गठन की योजना पर चर्चा हुयी।[21] वर्ष 1943 के श्रम सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक सुधार एवं श्रमिक कल्याण संबंधी आठ प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किये[22] :-

1. कोयला तथा कच्चे माल की कमी के कारण बेरोजगारी।
2. सामाजिक सुरक्षा तथा न्यूनतम मजदूरी।
3. महगाई भत्ता निश्चित करने के सिद्धान्त।
4. प्रान्तों में त्रिपक्षीय संगठन की स्थापना।
5. विधानमंडलों और अन्य निकायों में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व।
6. बड़े औद्योगिक संस्थानों में बॉम्बे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तर्ज पर स्थायी आदेश।
7. पूर्ण सम्मेलन की प्रक्रिया नियम को अपनाया जाना, तथा

8. प्रोविडेंट फण्ड के लिए आदर्श नियम।

फरवरी, 1942 की बॉम्बे बॉयलर दुर्घटना, जिसमे अनेकों मजदूरों की मृत्यु हुयी तथा अनेकों हताहत हुए, के कारण डॉ. अम्बेडकर ने दुर्घटना को रोकने के लिये केन्द्रीय विधान सभा में बॉयलर अधिनियम 1923 में संशोधन का विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे विमर्श के बाद पास कर दिया गया। इस संशोधन से बॉयलर इंस्पेक्टर को पाइप तथा अन्य उपकरण को जांच कर उसके कार्ययोग्य होने संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करने का आदेश देकर भावी दुर्घटना को रोकने का प्रयास किया गया।[23]

कोयला खनन क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की स्थिति के अध्ययन के लिए श्रम सदस्य डॉ. अम्बेडकर, श्रम सचिव एच.सी. प्रायर, श्रम कल्याण सलाहकार, श्री आर.एस. निम्बरकर ने दिसम्बर, 1943 में धनबाद, झरिया तथा रानीगंज के कोयला खदानों का भ्रमण किया। डॉ. अम्बेडकर ने भुलनबारी कोयला खदान में 400 फीट नीचे जाकर कोयला खदान में कार्यरत मजदूरों की दशा देखी।[24] उन्होंने श्रमिक बस्तियों तथा अस्पतालों का भी निरीक्षण किया ।

कोयला श्रमिकों की स्थिति में सुधार तथा कल्याण के लिये कोयला खदान श्रमिक कल्याण अध्यादेश 1944 पास किया गया, जिसके द्वारा एक फण्ड स्थापित करने का निर्णय हुआ। यह अध्यादेश सम्पूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र में 31 जनवरी, 1944 से लागू कर दिया गया। इस फण्ड का सृजन केंद्र सरकार कोयला खदान से रेलवे द्वारा ढोए जाने वाले कोयले तथा सॉफ्ट कोक के परिवहन पर उपकर, जो कम से कम एक आना तथा अधिकतम चार आना प्रति टन लगाने का प्रावधान था। इस फण्ड का उपयोग श्रमिक कल्याण कार्यक्रम जैसे आवास, जल-आपूर्ति, धुलाई की व्यवस्था, शिक्षा तथा जीवन-स्तर में सुधार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत पोषण, मनोरंजन और यातायात सुविधाओं का विकास तथा सामाजिक स्थिति में सुधार आदि में करने का निर्णय हुआ।[25] इस अध्यादेश ने केंद्र सरकार को अधिकृत किया की वह एक सलाहकार समिति का गठन करे जिसमें अन्य सदस्यों के साथ-साथ कोयला खदान के मालिकों और श्रमिकों के समान प्रतिनिधि हो। इस अध्यादेश की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था सलाहकार समिति में एक महिला सदस्य की अनिवार्यता थी।[26]

डॉ. अम्बेडकर ने भूमिगत कोयला खदानों में महिला श्रमिकों पर सन् 1939 में लगी कार्य करने की पाबन्दी को हटाने कि पुरजोर वकालत करते हुए केंद्रीय विधान सभा में कहा कि कोयला सामरिक महत्व का पदार्थ है जिसका उपयोग उद्योग,

यातायात तथा अन्य नागरिक उपयोग में होता है। अंत: कोयले की आपातकालीन आवश्यकता को देखते हुऐ उन्होंने भूमिगत कोयला खदानों में महिला श्रमिकों के कार्य करने की पाबन्दी को हटाने को उचित बताया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य महिला हित के दृष्टि से यह था पहली बार किसी भी उद्योग में बिना किसी लिंग भेद के समान कार्य समान वेतन का प्रावधान लागू किया गया।[27]

केंद्रीय विधान सभा में 16 मार्च, 1944 को श्रमिकों के प्रति सरकार की नीति पर जबाब देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि भारत में श्रमिको की स्थिति देश में औद्योगिक विकास पर निर्भर है, जिस पर सरकार का बमुश्किल नियंत्रण है। अत: मजदूरों की दशा के लिए सरकार को पूर्णत: उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिक समस्या के समाधान के लिये श्रम विभाग में विस्तार किया गया है। 1942 के पहले श्रमिक समस्या के समाधान के लिए श्रम विभाग में केवल एक अंडर सेक्रेटरी होता था, लेकिन वर्तमान में एक डिप्टी सेक्रेटरी तथा दो अंडर सेक्रेटरी कार्यरत है। इनके अलावे एक मजदूर सलाहकार भी मदद करते है।[28]

डॉ. अम्बेडकर ने कारखाना कानून 1934 में संशोधन के लिये बिल प्रस्तुत किये। इसमे मुख्यत: चार संशोधन थे। जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 9 के तहत फैक्ट्री मालिक के द्वारा फैक्ट्री प्रारम्भ करने के पूर्व फैक्ट्री की समस्त आवश्यक जानकारी फैक्ट्री निरीक्षक को प्रदान करना, अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत समस्त कारखानों में धुलाई स्थान की अनिवार्यता, अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत समस्त कारखानों में फैक्ट्री इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित संख्या में फायर एस्केप का निर्माण करना, अनुच्छेद 45 तथा 54 महिलाओं तथा बच्चों के लिए फैक्ट्री में काम के घंटे से सम्बंधित है, काम के 13 घंटे को यथावत रखते हुए काम के समय में परिवर्तन करते हुए उसे शाम 8.30 के बजाय 7.30 करने का निर्णय हुआ।[29]

श्रमिक समस्या की चर्चा करते समय डॉ. अम्बेडकर के मस्तिष्क में केवल औद्योगिक श्रमिक ही नहीं थें, उन्हें कृषक श्रमिकों के हितों की भी उतनी ही चिंता थी। उनका विचार था कृषक वर्ग हमेशा शोषित रहा है तथा कृषक वर्ग तथा कृषि प्रणाली के सम्बन्ध में प्राचीन राजाओं तथा औपनिवेशिक शासन ने कोई ठोस, निश्चित तथा स्थायी नीति का निर्धारण नहीं किया जिससे कृषक वर्ग का कल्याण हो सके। सामंतवादी परम्परा के तहत कृषक वर्ग का सदैव शोषण होते रहा है।

डॉ. अम्बेडकर औद्योगिक क्षेत्र में समाजवाद की वकालत के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में राज्य स्वामित्व तथा सहकारी कृषि पर बल देते हैं, लेकिन डॉ. अम्बेडकर राज्य समाजवाद की स्थापना अधिनायकवाद की बजाय राजनीतिक प्रजातंत्र के द्वारा करना चाहते हैं।[30]

डॉ. अम्बेडकर ने 1918 में अपने शोध कार्य, 'स्माल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज' में कृषि उत्पादन की समस्या का अध्ययन किया है।[31] इस शोध पत्र में उन्होंने कृषि अर्थव्यवस्था के दोष के अध्ययन में कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में कृषि भूखंड के आकार को लिया है। एक प्रमुख समस्या कृषि के छोटे तथा बिखेरे हुए भूखंड है। जिसके लिए जमीन पर जनसंख्या का दबाब, ग्रामीण लोगों का जमीन के प्रति लगाव तथा संपति उत्तराधिकार के नियम है। छोटे तथा बिखेरे हुए भूखंड के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होती है तथा कृषि उत्पादन भी कम होता है। उनके अनुसार दो प्रमुख समस्याएं है :-

1. कैसे इन छोटे भूखंडों को समेकित (consolidate) किया जाये, तथा
2. इन समेकित भूखंडों को कैसे बनाये रखा जाये क्योंकि परिवार के मुखिया की मृत्यु के पश्चात् सभी उत्तारधिकारी संपत्ति का बंटवारा चाहते है।

डॉ. अम्बेडकर कृषि की समस्या के समाधान के लिए राज्य समाजवाद तथा सहकारी कृषि व्यवस्था को अपनाने का सलाह देते है। उनका मानना था की भूस्वामियों से प्राप्त भूमि को मानक भूखंडों में विभाजित कर ग्रामीण लोगों को बिना किसी जाति और वंश के भेदभाव के राज्य द्वारा निर्धारित नियमो एवं शर्तों के आधार पर सहकारी कृषि के लिए दे देना चाहिए। राज्य का दायित्व होना चाहिए कि वह सहकारी कृषि फार्म को वित्त, जल-आपूर्ति, कृषि उपकरण, खाद, बीज आदि उपलब्ध कराने का प्रबंध करे।[32] उनका कहना था भूस्वामियों से लिए गए भूखण्ड के बदले उन्हें डिबेंचर्स प्रदान किया जाये तथा राज्य द्वारा निर्धारित दर पर उन्हें ब्याज प्रदान क्या जाए। कृषि में अतिशेष उत्पादन की कमी तथा ग्रामीण बेरोजगारी महत्वपूर्ण समस्या है। उनका कहना था कि भारत में कृषकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान औद्योगिकीकरण से संभव है जो गैर-कृषक मजदूरों को रोजगार प्रदान कर कृषि भूमि पर दबाब को कम करेगा।[33]

महाराष्ट्र के कोंकण, रत्नागिरि तथा कोलाबा जिलों में प्रचलित खूंटी पद्धति के बारे में अपने विचार 'बहिस्कृत भारत' 3 मई, 1929 में प्रकाशित किया। उनका

मानना था की इस पद्धति ने दासता और बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा दिया है। उन्होंने बॉम्बे विधान सभा में खूंटी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 17 सितंबर, 1937 को बिल प्रस्तुत किये। उन्होंने खूंटी पद्धति में कृषकों के शोषण को समाप्त करने के लिए निम्नांकित मांग की :-

1. सरकार को कानून पास कर खूंटी पद्धति समाप्त करनी चाहिए।
2. सरकार को कृषकों की न्यूनतम मजदूरी तय करनी चाहिए।
3. सरकार को कृषकों पर लगाये जाने वाले सभी कर समाप्त करने चाहिए।

संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने वयस्क पुरुषों एवं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ बल श्रम को रोकने के लिए संविधान के भाग III तथा IV में महत्वपूर्ण प्रावधान किये ।

अनुच्छेद 23 :- मानव के अवैध व्यापार, भिक्षावृति पर प्रतिबन्ध के साथ दंडनीय अपराध।

अनुच्छेद 24 :- चौदह वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी कारखाना, खनन उद्योग या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियोजित नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 45 :- 8 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के प्रावधान (86 संविधान संशोधन विधेयक से-14 साल से कम उम्र के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा) वास्तव में संविधान सभा के सदस्य 10 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के पक्ष में थे, लेकिन अम्बेडकर ने अनुच्छेद 24 एवं 45 में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुझाव दिया कि यदि कोई बच्चा बालश्रम से मुक्त किया जायेगा तो वह शैक्षेणिक व्यवस्था के आभाव में पुन: बालश्रम की ओर उन्मुख हो जायेगा।

अत: श्रम सदस्य के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के प्रयास के साथ-साथ कृषक, खनन उद्योग, महिला श्रमिकों तथा बाल श्रमिकों के हितों की रक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए काफी कार्य किया।

III

बाबू जगजीवन (5 अप्रैल, 1908-6 जुलाई, 1986) का जन्म बिहार के आरा शहर के नजदीक एक छोटे से गांव चांदवा में 5 अप्रैल, 1908 को हुआ था।

प्रारम्भिक शिक्षा गाँव के स्कूल से करने के बाद उन्होंने आरा शहर से मेट्रिक की परीक्षा उतीर्ण की। इसके बाद उन्होंने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट तथा कलकत्ता से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए रविदास सभा की स्थापना की।

1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार में वे प्रथम श्रम मंत्री बने। 1935 में वे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग के जनरल सेक्रेटरी बने। 1936 में बिहार विधान सभा के सदस्य मनोनीत किये गये। बिहार में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल में संसदीय सचिव नियुक्ति गये जिससे उन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ नवम्बर, 1939 में इस्तीफा दे दिया। 1947 से 1951 तक उन्होंने राष्ट्रीय श्रम अधिवेशनों की अध्यक्षता की। 1947 तथा 1950 में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय प्रतिनिधि दल का उन्होंने नेतृत्व किया तथा 1950 में वे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष चयनित हुये ।

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बाबू जगजीवन राम ने कहा कि संविधान सभा के कार्य लगभग पूर्णता की ओर है तथा नये भारतीय संविधान से सामंतवादी प्रथा समाप्त होगी तथा जन-सामान्य को अधिकार प्राप्त होगें, जिसका अर्थ है की श्रमिक वर्ग जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है वह इस महान भूमि के भविष्य के भावी स्वरुप के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।[35] उनका मानना था के केवल भारत की आजादी से जन-सामान्य को वास्तविक लाभ नहीं होगा जब तक उनकी मूलभूत तथा अनिवार्य आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं होता। वास्तविक आजादी बिना आर्थिक आजादी के संभव नहीं है तथा जिसके लिये गरीबी, अशिक्षा तथा बेरोजगारी की समस्या की समाप्ति, स्वस्थ एवं स्तरीय जीवनशैली का निर्माण तथा सभी लोगों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध हो।

श्रम मंत्री के रूप बाबू जगजीवन राम ने श्रमिकों की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या - गरीबी, बेरोजगारी, दुर्भिक्ष तथा निम्न जीवन स्तर के समाधान हेतु प्रयास किया। जगजीवन बाबू के अनुसार अधिकांश औद्योगिक श्रमिक ट्रेड यूनियन के द्वारा संगठित है, लेकिन कृषक तथा बागान श्रमिक, जिनकी संख्या सबसे अधिक है, वे संगठित नहीं है और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता उनके हितों ही ओर ध्यान नहीं देते। उनके अनुसार कृषक श्रमिकों को संगठित करने का सबसे अच्छा तरीका सहकारी समितियों

की स्थापना है। यदि किसी गांव में पहले से सहकारी समिति हो तो जरूरी है कि उनकी सदस्यता की शर्तें सहज बनायीं जाये, ताकि कृषक श्रमिक उसकी सदस्यता ले सके। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उन्होंने पृथक सहकारी समिति की स्थापना की अनुशंसा की। सहकारी समितियां कृषक श्रमिकों के लिए रोजगार कार्यालय के रूप में भी कार्य कर सकती हैं। ये समितियां सहायक उद्योग चलाने के साथ-साथ कृषक श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बिक्रय में मदद कर सकती हैं।[36]

उन्होंने सर्वप्रथम कृषक श्रमिकों की कार्य परिस्थिति को अनुकूल करने का प्रयास किया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा असंगठित क्षेत्रों विशेषकर कृषि, बागवानी तथा अन्य सहायक उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और समय-समय पर पुनरीक्षण की व्यस्वथा की गयी। इस अधिनियम से भारत के सबसे बड़े असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों की स्थिति को बेहतर बनाने तथा शोषण की संभावना से मुक्ति का प्रयास किया गया। कारखाना अधिनियम द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा श्रमिकों के कल्याण हेतु कानून पास किये गये। 500 से अधिक मजदूरों की संख्या वाले कारखानों में वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किये गये। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर श्रमिकों के स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा मातृत्व एवं रुग्णावस्था सुविधा का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया गया।[37]

10 फरवरी, 1947 को औद्योगिक विवादों की जाँच तथा निपटारा विधेयक को केंद्रीय विधान सभा में प्रस्तुत करते हुए बाबू जगजीवन राम ने कहा कि बिल का उद्देश्य नियोक्ता तथा श्रमिक के मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित करना है। उन्होंने कहा की केवल कारखानों में काम करने वाले श्रमिक सभी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जिनकी संख्या काफी अधिक है, वे सरकार तथा श्रमिक नेताओं द्वारा भी उपेक्षित रहे है। सरकार को इन असंगठित मजदूरों की मदद करनी चाहिए और उनकी मजदूरी तथा कार्य शर्तों में सुधार के साथ-साथ नियोक्ता तथा उनके मध्य विवाद को समाप्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए।[38]

डॉ. अम्बेडकर के समान बाबू जगजीवन राम भी श्रमिकों को औद्योगिक संस्थानों का अभिन्न अंग मानते थे। उनकी इसी नीति ने उन्हें सभी प्रकार के श्रमिकों को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की छत्रछाया में लाने के लिए प्रोत्साहित किया। पहली बार औद्योगिक श्रमिकों के साथ-साथ खेतिहर तथा बागान श्रमिकों को

श्रमिक संघ से जोड़ा गया। उनका मानना था कि एक मान्य श्रमिक संघ द्वारा ही श्रमिकों की समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट में संशोधन कर नियोक्ताओं को ट्रेड यूनियन से बात करके समस्या समाधान के लिए विवश किया।

बाबू जगजीवन ने अपने भाषणों में बेहतर औद्योगिक उत्पादन के लिए कार्य हेतु बेहतर परिस्थिति तथा औद्योगिक सम्बन्धों पर बल दिया है। बाबू जगजीवन राम ने सूती वस्त्र उद्योग की पहली त्रिपक्षीय समिति के प्रथम सत्र, जनवरी, 1948 के उद्घाटन सत्र के अपने उद्बोधन में श्रमिकों को बधाई देते हुए कहा की यह पहला उद्योग है जो त्रिपक्षीय तंत्र (सरकार, नियोक्ता तथा कर्मचारी) का गठन उत्पादन के तरीकों तथा श्रमिकों की कार्य स्थिति में सुधार के लिए आयोजित की गयी है। उनका सुझाव था की कोआपरेटिव कॉमनवेल्थ की स्थापना के साथ इस समेलन की सर्वोच्च प्राथमिकता श्रमिकों को उचित मजदूरी, प्रशिक्षण, प्रोविडेंट फण्ड तथा बीमा योजना की सुविधा पर होनी चाहिए ताकि अधिक उत्पादन तथा सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों का निर्माण हो सके।[39] बाबू जगजीवन का व्यक्तिगत तौर पर मानना था कि आधार उद्योग जैसे कोयला, लोहा एवं इस्पात आदि का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

भारत सरकार की श्रमिक नीति पर प्रकाश डालते हुए जगजीवन बाबू ने श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित पंचवर्षीय कार्यक्रम का वर्णन प्रस्तुत किया[40] :-

1. अति-परिश्रम वाले उद्योग एवं व्यवसाय में न्यूनतम मजदूरी का वैधानिक प्रावधान।
2. उचित मजदूरी समझौता को प्रोत्साहन।
3. बागान श्रमिको को आजीविका मजदूरी की प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम।
4. कृषि श्रमिकों की आय संबंधी जानकारी के लिए दल का गठन ।
5. कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के समान खदान श्रमिकों की कार्य अवधि को 54 घंटे से 48 घंटे प्रति सप्ताह करना।
6. दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों, यातायात सेवा, बंदरगाह तथा नगरपालिका में कार्यरत श्रमिकों के काम के घंटे, सप्ताहिक अवकाश, सवैतनिक अवकाश हेतु विधायी प्रावधान।
7. कारखाना अधिनियम द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य अनुकूल माहौल जैसे प्रकाश, सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि तैयार करना।

8. खनन कानून में परिवर्तन कर खनन उद्योग के श्रमिकों के लिए समान कार्यानुकूल स्थिति का निर्माण करना।
9. औद्योगिक प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षुता योजना प्रारम्भ करना।
10. संसाधनों के अनुसार कामगारों के लिए पर्याप्त आवास सुविधा की व्यवस्था।
11. कोयला खदान तथा माइका श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्य।
12. मातृत्व लाभ के लिए केन्द्रीय कानून का निर्माण।
13. शिशु गृह तथा कैन्टीन की सुविधा के प्रावधान।

IV

निष्कर्ष के तौर पर हम पाते है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर तथा बाबू जगजीवन राम की सामाजिक पृष्ठभूमि समान है। दोनों युगपुरुषों का जन्म समाज के सबसे पिछड़े तथा शोषित वर्ग तथा समस्त राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों से वंचित वर्ग में हुआ था। दोनों महान सामाजिक चिंतकों को अनेकों बार सामाजिक उपेक्षा एवं प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था, तथापि उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन तथा उच्च आदर्शों से भारतीय समाज को एक नयी दिशा दी। भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए इन्होनें निरन्तर संघर्ष कर समाज के शोषित, पीड़ित, दलित तथा श्रमिक वर्ग की आवाज बुलंद की तथा संवैधानिक प्रावधानों द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा का प्रयास किया ।

श्रम सदस्य तथा श्रम मंत्री के रूप में इन्होनें श्रमिकों की समस्यायों का त्रिपक्षीय सम्मेलन के माध्यम से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण का प्रयास किया। श्रमिकों के सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा हेतु किये गए प्रयास सराहनीय हैं। दोनों आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के प्रबल समर्थक थें तथा इनका मानना था बिना सामाजिक एवं आर्थिक समानता के राजनीतिक प्रजातंत्र बेमानी है, वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए श्रमिक एवम दलित वर्ग का शोषण, उत्पीड़न तथा दमन से मुक्ति आवश्यक है। इसलिए इन्होंने श्रमिकों के लिए उचित न्यूनतम मजदूरी, उचित कार्यस्थल माहौल, न्यायसंगत कार्य की अवधि, साप्ताहिक अवकाश, सवैतनिक अवकाश, रोजगार सुरक्षा, प्रोविडेंट फण्ड की व्यवस्था, बीमा तथा चिकित्सा सुविधा आदि की माँग की। इन्हें न केवल संगठित क्षेत्र में कार्यरत वयस्क पुरुष श्रमिकों की चिंता थी, बल्कि इन्होंने खनन श्रमिकों, असंगठित कृषि एवं बागान श्रमिकों के साथ-साथ महिला एवं बल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सतत प्रयास किया।

दोनों महान चिंतकों की श्रमिक नीति में दृष्टिकोणगत अन्तर मेरी समझ के अनुसार डॉ. अम्बेडकर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा हेतु अधिक कृतसंकल्पित दिखाई पड़ते हैं, जबकि बाबू जगजीवन राम अपने श्रमिक नीति के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्रों (कृषक एवं बागान श्रमिकों) के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अधिक मुखर दिखायी पड़ते हैं। उल्लेखनीय है कि इन युगचिंतकों ने न केवल भाषण और लेखनी के माध्यम से बल्कि श्रम सदस्य तथा श्रम मंत्री के रूप में अपने संवैधानिक अधिकारों के द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा का प्रयास किया। भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा तथा कल्याणार्थ किये गये इन दोनों महान आर्थिक चिंतकों के योगदान स्तुत्य है।

संदर्भ :

1. डॉ. अम्बेडकर ब्रॉडकास्ट ऑन आल इंडिया रेडियो, बॉम्बे, दिसम्बर, 1942.
2. मून, वसंत, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज,वॉल्यूम 10, रिप्रिंटेड, डॉ. अम्बेडकर फॉउंडेशन, जनवरी 2014, पृष्ठ 40-41.
3. वही, पृष्ठ 37.
4. वही
5. क्षीरसागर, रामचंद्र कामाजी, पोलिटिकल थॉट ऑफ डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, इंटेलेक्चुअल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, फर्स्ट एडीशन, 1992, पृष्ठ 54.
6. मून, वसंत, उपरोक्त, पृष्ठ 106-108.
7. वह, पृष्ठ 109.
8. वही, पृष्ठ 110..
9. वही
10. खैरमोड़े, सी. बी., डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, वॉल्यूम 9, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल, बॉम्बे, 1987, पृष्ठ 113.
11. इंडियन इन्फॉर्मेशन, सितम्बर 15, 1942.
12. वही
13. मून, वसंत, उपरोक्त पृष्ठ 12
14. वही
15. मून, वसंत, उपरोक्त, पृष्ठ 13-14
16. इंडियन इन्फॉर्मेशन सितम्बर 15, 1943, पृष्ठ 143-44.
17. मून, वसंत, उपरोक्त, पृष्ठ 14-15

18. वही, पृष्ठ 16
19. वही
20. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट्स, वॉल्यूम II, 31 मार्च, 1943, पृष्ठ 1649-1651
21. इंडियन इन्फॉर्मेशन, जून 1, 1943, पृष्ठ 431.
22. इंडियन इन्फॉर्मेशन, सितम्बर 15, 1943, पृष्ठ 143-44.
23. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट्स, वॉल्यूम III, 29 जुलाई 1943, पृष्ठ 176-177.
24. इंडियन इन्फॉर्मेशन, जनवरी 1, 1944, पृष्ठ 39-40.
25. मून, वसंत, उपरोक्त, पृष्ठ, 137.
26. वही, पृष्ठ 138
27. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट्स, वॉल्यू I, 8 फरवरी 1944, पृष्ठ 131-141.
28. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट्स, वॉल्यूम II, 16 मार्च, 1944, पृष्ठ 1187-91.
29. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट्स, वॉल्यूम III, 4जी अप्रैल 1944, पृष्ठ 1187-91.
30. लोखंडे, जी.एस., बी.आर. अम्बेडकर, ए स्टडी इन सोशल डेमोक्रेसी, पृष्ठ 34.
31. राज कुमार, इकॉनोमिक थॉट ऑफ बी.आर. अम्बेडकर, कॉमन वेल्थ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ 87.
32. वसंत मून, वॉल्यूम I, पृष्ठ 455-475
33. वही, पृष्ठ XXIV
34. सांची, रानी गुर्टू, जगजीवन राम ऑन लेबर प्रॉब्लम, आत्मा राम एंड संस, नई दिल्ली, 1951, पृष्ठ 1.
35. वही, पृष्ठ 32.
36. वही, पृष्ठ 48.
37. वही, पृष्ठ 7-8
38. वही, पृष्ठ 53
39. वही, पृष्ठ 50
40. वही, पृष्ठ 64-65

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग,
शासकीय विख्याता स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय
दुर्ग, छत्तीसगढ़

NEO-BUDDHIST MOVEMENT : A RETROSPECTION (IN SPECIAL REFERENCE TO MAHARS)

– Vikram Jha

The Mahars in Maharashtra are one of the major schedule caste groups comprise ten percent of the population of the state and neighbouring areas. Before their conversion to Buddhism they were numerically the largest schedule caste group in the state. There is a popular saying that goes 'wherever there is a village there is maharwada'[1]. Mahars were village servants who received food and old clothes from the villagers in exchange of services rendered. They had to perform certain functions for the government also, for their official duties; they were either paid in cash or a piece of land entirely free of assessment. Their official duties consisted of publicizing government orders by beat of drums carrying village records to the taluka office, taking government dues to the sub - treasury etc. But the major chunk of their population were doing menial jobs in village like cutting wood, taking wood to cremation ground, taking messages of birth and death, removing dead cattle from houses and cleaning wells. There were however some Mahars who were agriculturists. Thus, socio-economic status of Mahars was extremely bad. They used to live outside of the villages, their touch was defiling etc. Because of their work or occupation they came across constantly with higher caste Hindus and this contact reinforced their low social position. If we observe we can underline the fact that other schedule castes had hereditary artisanal occupations which made contact with caste Hindus somewhat limited. The economic base of Mahars was tied to the village as they did not have any hereditary artisanal occupation[2]. Thus, it can be concluded that Mahars of Maharashtra have been deprived and were socially humiliated.

It was Dr. Ambedkar who understood the problem of untouchability, casteism and showed the way to Mahars to eliminate them, root and branch. Dr. Ambedkar, father of Indian Constitution